हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

वर्ष : 16 अंक : 07 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जुलाई, 2025

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

नीट:अनारक्षित वर्ग की नई कैटेगरी

मेडिकल कॉलेजों में सामान्य की मेरिट में अब आरक्षित को जगह नहीं

आरक्षित, अनारक्षित वर्ग की अलग-अलग होगी काउंसलिंग

9775 सीटों पर सीधा असर

नई दिल्ली मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट' के आरक्षण नियमों में इस वर्ष बड़ा बदलाव किया गया है। इससे अच्छे अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य मेरिट में जगह नहीं बना पाएंगे। वहीं, कम अंक पाने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।

इस बार ऑल इंडिया कोटे की सीटों के लिए नई अनारक्षित कैटेगरी (यूआर) बनाई गई है।

इस श्रेणी में सामान्य वर्ग के साथ ही ओबीसी की क्रीमी लेयर और केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल न रहने वाले अभ्यर्थी होंगे। सीबीएसई नीट इंफॉरमेशन बुलेटिन में काउंसलिंग के दौरान ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी यूआर दर्शाने के निर्देश है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सीके मिश्रा ने बताया कि रिजर्व्ड कैटेगरी (49.5 प्रतिशत) व अनरिजर्व्ड कैटेगरी (50.5 प्रतिशत) की अलग-अलग काउंसलिंग होगी।

यूं समझें क्या पड़ेगा इसका असर

मतलब यह कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति के अभ्यर्थी सामान्य मेरिट में जगह नहीं बना पाएंगे। उन्हें उनकी कैटेगरी के अनुसार तैयार अलग मेरिट में ही जगह मिलेगी। ठीक इसी तरह सामान्य जाति के ऐसे अभ्यर्थी जो अच्छा प्रदर्शन न करने के कारण कुल मेरिट में काफी पीछे हैं, उन्हें भी नई अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही जगह मिलने के कारण ठीक वैसा ही लाभ मिलेगा, जैसा पहले आरक्षित श्रेणियों को मिलता था। इससे अति पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को नई अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मेरिट में जगह नहीं मिलेगी। आरक्षित सीटों पर दबाव बढ़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2017 में कहा था कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग में ही नौकरी मिलेगी, चाहे उसके सामान्य अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक हों।

आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा हटाने के लिए संविधान संशोधन लाया जाए

कांग्रेस ने कहा कि आगामी मानसून सत्र में वह जोर-शोर से यह मांग उठाएगी

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बिहार आरक्षण कानून को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने, आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा हटाने के लिए संविधान में संशोधन करने और अनुच्छेद 15(5) को लागू करने की अपनी मांग दोहराई, जो निजी शैक्षिणक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईबीसी को आरक्षण प्रदान करता है।

पार्टी के महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी इन तीन महत्वपूर्ण मुद्दों को आगामी मानसून सत्र में संसद में उठाएगी, जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

जयराम रमेश ने ट्वीट किया, हैं कि पूर्व की इंडिया गठबंधन सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षणण् के आधार पर, बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईबीसी के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण प्रस्तावित किया था। यह प्रस्ताव वर्तमान में न्यायालयों विचाराधीन है।

उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार लगभग हार मान चुकी है।

उन्होंने आगे कहा, लेकिन कांग्रेस लंबे समय से जो तीन माँगे कर रही है, वे 65 प्रतिशत आरक्षण को हकीकत बना सकती हैं।

जयराम रमेश ने बिहार आरक्षण कानून को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने का आव्हान किया।

उन्होंने कहा, यह काम 1994 में नरसिम्हाराव सरकार द्वारा तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण की रक्षा के लिए किया गया था।

*** कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने यह भी बताया कि बिहार की इंडिया ब्लॉक सरकार ने कास्ट सर्वे के बाद जो विधेयक पारित किए थे और जिन्हें अदालत में चुनौती दी गई है, उन्हें संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी।**

**** कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन के क्रियान्वयन की मांग भी उठाएगी। डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लाया गया यह संविधान संशोधन 11 साल से ठंडे बस्ते में है।**

उन्होंने संविधान में संशोधन करने की भी मांग की ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण की 50 सीमा को पार किया जा सके।

रमेश ने कहा कि यह सीमा पिछले छह दशकों में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के कारण ही लागू हुई है।

उन्होंने कहा, अनुच्छेद 15(5) निजी शैक्षिणक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। यह पिछले 11 वर्षों से लागू नहीं हो पाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में डॉ. मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाए गए इस संवैधानिक संशोधन को मान्यता दी थी।

रमेश ने कहा कि कांग्रेस निश्चित रूप से मानसून सत्र में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण से जुड़े इन तीनों महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएगी।

अध्यक्ष की कलम से

''खोखला प्रस्ताव''

साथियों,

कांग्रेस ने बैंगलूरू में अपने ओबीसी सम्मेलन में प्रस्ताव पास करके जाति आरक्षण को 50 प्रतिशत की सीमा से आगे बढाने का कहा है। यह प्रस्ताव कांग्रेस के वसप्रोढ नेता राहुल गांधी के बार-बार दिये गये बयानों का दस्तावेजीकरण है। लेकिन इसके लिये जरूरी है कि इंदिरा साहनी के नौ जजों की बैंच के संवैधानिक निर्णय से बड़ा निर्णय करवाया जाये। इसकी संभावना बहुत कम है।

जड़ों से खोखली हो चुकी काँग्रेस तरह-तरह के प्रयोग कर रही है। हालांकि हम चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में काँग्रेस वर्तमान रहे। लेकिन कभी ईवीएम, कभी सरकार चोरी जैसे स्तरहीन बयानों से इतनी बड़ी पार्टी कुछ नहीं ले पायी तो अब इस प्रस्ताव से कुछ मिल पायेगा इसमें शक है।

एम नागराज के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ निर्णय को बदलने के लिये 117 वाँ संविधान संशोधन लाने वाली काँग्रेस अपने सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी के सिद्धांतों से कट चुकी है। वर्ना जाति आरक्षण के विषय में तरह-तरह के प्रयोग नहीं करती।

किसी पार्टी के जड़ों से कटने का प्रभाव क्या होता है ये हमारा नहीं काँग्रेस के लिये शोध का विषय है। हमारा तो ''इंदिरा भवन'' से यही निवेदन है कि लोकनीति करने वाली पार्टी राजनीति करना चाहती है भले ही करे। लेकिन अपने मूल समरसता के सिद्धान्तों से अलग नहीं होवे।

जय समता-विजय समता ।

सम्पादकीय

''आठवाँ अजूबा- जाति आरक्षण''

साधारणत: हम कथित राजनीति और राजनैतिक पार्टियों के न विरोध में हैं न ही समर्थन में। हम मुख्यत: संविधानिक शुचिता पर विश्वास करते हैं। और भारत का संविधान लोककल्याणकारी जनप्रतिनिधित्व की मर्यादा पर आधारित है। भले ही पथ विचलित जन नेताओं ने लगभग 300 संविधानसभा के सदस्यों की दो साल साढे ग्यारह महिने की मेहनत और देश के प्रति निष्ठा को नकार कर मात्र एक व्यक्ति को ही, संविधान निर्माता के रूप में भारत पर सौंप दिया है।

1857 से 1947 तक 90 सालों की आज़ादी की लड़ाई का अमृत कलष, हमारा सौभाग्य मात्र एक व्यक्ति के चरणों में समर्पित कर दिया। इसका कुल परिणाम आज सबके सामने है। और वो जात आधारित आरक्षण। ये संविधान और आरक्षण वही तत्व है जिसे कृत्रिम भगवान (फाल्स गोड़-अरूणा शौरी) ने खुद ही नकार दिया था।

अब तो ये साफ है कि शुरु के दस सालों में जाति आरक्षण संविधान सम्मत रहा था। लेकिन उसके बाद अर्थात 1961 के उपरांत से आज तक जाति आरक्षण पूरी तरह कथित राजनैतिक कुत्सित मानसिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर रह गया है। इसी कुत्सित राजनैतिक मानसिकता के कारण ही आज़ादी और संविधान के 75 साल बाद भी देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कथित रूप से ''दलित'' की श्रेणी में आता है। सभवत: यह दुनिया के मूल सात अजूबों से आगे आठवाँ अजूबा है।।

सब को पता है और सभी समर्थ मानते हैं कि जाति आरक्षण का प्रयोग फैल हो चुका है। फिर भी चल रहा है। देश भीम-भीम के मकड़जाल में फंस कर गृहयुद्ध की तरफ धीरे-धीरे बढ रहा है। लेकिन फिर भी चल रहा है। पूरा सिस्टम पस्त हो चुका है। फिर भी चल रहा है। यहाँ तक कि संविधान की जिल्दें अनेक बार बदली गई। फिर भी चल रहा है। ये सब भी किसी अजूबे से कम नहीं है।

इतिहास और पौराणिक आख्यानों में कई जगह लिखा है कि जब धरती आततायी के कहर से त्राहिमाम कर उठी तो सुधी जन गाय को आगे करके परमसत्ता के पास जाते थे। अब न गाय है न सुधि लोगा। एक व्यापार की वेदी पर काटी जा रही है दूसरे की सुनवाई कहीं नहीं है। सरकारें और संसद नये-नये कानून बनाने की वीरता में व्यस्त हैं। चल रहे कानूनों की अनुपालना कौन कहाँ कितनी कर रहा है। इसकी जानकारी और संभाल रखने वाला कोई नहीं है।

कथित राजनेताओं और राजनैतिक दलों में एक होड़ लगी हुई है कि जातियाँ खत्म करने के नाम पर कौन कितना जातीय संरक्षण दे सकता है। मूल्य और मानक किसी भी युग में अंहकारी, अधिनायकवादी सत्ता के लिये कभी भी उपयोगी नहीं रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनता ही नेताओं को मूल्य और मानक परक रखती रही है। वही जनता जातियों के नाम पर इतनी अधिक तीन तेरह की जा चुकी है कि भविष्य से मन भयभीत होता है।

भारत में भय भीरुता में बदल चुका है। यह अधिक खतरनाक है। कोई भी सिस्टम हो वह भय से तो मुक्त बनाने के उपाय कर सकता है लेकिन भीरुता से इन्सान को स्वयम् ही मुक्त होना पड़ता है। आजादी के दीवानों का यह जीवन संदेश फिर से याद करने का समय आ गया है। जय भारत जय भारतवासी।

- योगेश्वर झाड़सरिया

रोस्टर सिस्टम पर सवाल उठे, 53 ब्यूरोक्रेट्स मिले राजस्थान को, इनमें 17 इनसाइडर और 36 आउटसाइडर

ब्यूरोक्रेसी : 2017 के बाद राजस्थान में सामान्य वर्ग के इनसाइडर आईएएस की नियुक्ति नहीं

जयपुर। राजस्थान में पिछले सात वर्षों से सामान्य वर्ग के किसी भी इनसाइडर आईएएस को राज्य में नियुक्ति नहीं मिली है। इनसाइडर यानी किसी राज्य के मूल निवासी आईएएस अधिकारी। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के नियमों के तहत हर राज्य में एक तिहाई पद इनसाइडर्स के लिए आरक्षित रहते हैं ताकि स्थानीय क्षेत्र-समाज और प्रशासन के बीच संतुलन बना रहे। लेकिन इसश् व्यवस्था में असुंतलन से तत्कालिक-दीर्घकालिक परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे यह सिलसिला ऐसे ही चलाए तो 25 वर्ष बाद प्रदेश में सामान्य वर्ग का कोई भी इनसाइडर आईएएस मुख्यसचिव जैसे पद की दौड़ के लिए योग्य नहीं बचेगा।

2018 से 2024 के बीच पदों का वितरण

53 ब्यूरोक्रेट मिले राजस्थान

17 इनसाइडर

36 आउटसाइडर

कैटेगरी वाइज इनसाइडर

जनरल - 0

ओबीसी - 11

एससी - 3

एसटी - 3

राजस्थान कार्मिक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य श्रेणीवार ब्रेकअप नहीं भेजता है। बल्कि जिस वर्ष राज्य में जितने आईएएस अफसरों की जरूरत होती है, उतनी संख्या भेज देता है। उस के बाद केंद्र रोस्टर तैयार करता है, लेकिन यह कैसे तैयार होता है, इसकी जानकारी प्रमुख अधिकारियों को भी नहीं होती।

संयोग या प्रयोग

बड़ा सवाल है कि क्या यह संयोग है या कोई सियासी प्रयोग या तकनीकी खामी। कुछ जानकारों को आशंका है कि यह जातीय-राजनैतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए की जाने वाली अनदेखी है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में प्रमुख पद पर रह चुके सेवानिवृत अधिकारी बताते हैं, ''तय तौर पर यह कह देना कि ऐसा किसी जातीय तुष्टिकरण या राजनीतिक कारणों के चलते हो रहा है, ठीक नहीं है। लेकिन इस आशंका को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता है।''

जनरल में टॉपर को भी नहीं मिला होम कैडर

सरकारी पक्ष के मुताबिक किसी कैटेगरी में योग्य अभ्यर्थी ना मिलने पर उसे खाली छोड़ा जाता है। लेकिन कई बार योग्य होने के बावजूद इनसाइडर को मौका नहीं मिलता। 2019 में जयपुर के रहने वाले अक्षत जैन ने ऑल इंडिया दूसरा स्थान प्राप्त किया था। उस साल राजस्थान में जनरल की कोई पोस्ट ही नहीं आई थी और जैन को मध्यप्रदेश कैडर मिला। उस साल राजस्थान से 6 आईएएस अफसरों की जरूरत भेजी गई थी, सूत्र बताते हैं कि जरूरत उससे अधिक थी। यदि सही संख्या भेजी जाती तो उन्हें राजस्थान कैडर मिल सकता था। संख्या कम भेजने के पीछे अनाधिकारिक तौर पर चर्चा है कि वह वैकेंसी शादी कर के संभावित तौर पर राजस्थान आने वाले अन्य कैडर के अधिकारियों के लिए छोड़ी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट स्टाफ भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण लागू

बदलाव: जूनियर पदों पर भर्ती रोस्टर रजिस्टर से

नई दिल्ली। देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई के कार्यकाल में एक अहम निर्णय में सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षण लागू किया गया है। हालांकि दो दिन पहले ही सीजेआइ गवई ने एक कार्यक्रम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को सीजेआइ कोर्ट की धारणा से निकाल कर प्रशासनिक स्तर पर फुल कोर्ट में सामूहिक फैसले किए जा रहे है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण रोस्टर रजिस्टर के आधार पर नियुक्तियां होंगी। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के परिपत्र के अनुसार आदर्श आरक्षण रोस्टर 23 जून से लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार सभी संबंधितों की सूचना के लिए मॉडल आरक्षण रोस्टर एवं रजिस्टर को 'सुपनेट' पर अपलोड कर दिया गया है। मॉडल रोस्टर में विभिन्न पदनामों के लिए आरक्षित श्रेणियों के लिए सीधी भर्ती नीति का विवरण दिया गया है। नीति के अनुसार,ए नए पदों पर एससी को 15प्रतिशत तथा एसटी को 7.5प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

इन पदों पर आरक्षण

वरिष्ठ निजी सहायकए सहायक लाइब्रेरियनए जूनियर कोर्ट सहायकए जूनियर प्रोग्रामरए जूनियर कोर्ट अटेंडेंटए चैंबर अटेंडेंट

जजों के लिए नहीं है आरक्षण...

देश में आरक्षण को लेकर तमाम बहस के बावजूद न्यायपालिका में अधीनस्थ अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट जजों तक की भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जस्टिस केजी बालाकृष्णन के बाद सीजेआइ गवई दूसरे दलित जज हैं जो न्यायपालिका के मुखिया के पद पर पहुंचे हैं।

सीजेआई ने बदला 64 साल पुराना नियम, अब सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा ओबीसी को आरक्षण

3 जुलाई को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में बताया गया कि अनुच्छेद 146(2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1961 के सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स (सेवा और आचरण की शर्तें)नियमों में संशोधन किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को अपने कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक कदम पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के नेतृत्व में उठाया गया है। यह पहली बार हुआ है कि ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को भी न्यायालय की स्टाफ नियुक्तियों में अवसर मिलेगा। नईआरक्षण व्यवस्था पोस्ट आधारित होगी न कि रिक्ति आधारित।

पौराणिक कथन: 'सुरभि'

कामधेनु नामक गऊ। समुद्र मंथन से निकले नवरत्नों में से एक। जिसे दक्षसुता माना गया है।

अपने किये पराये सारे,
राजनीति गन्दे गलियारे।
जात-पाँत का जहर बिखेरा,
नेताओं के वारे न्यारे।।

कविता

''चार मुक्तक- टिल्ली ली ली''

(1)
नेताओं की नयी सोच से
रक्षक भक्षक एक हो गये।
जिनका काम जगाना भर था,
वे सब चादर ओढ सो गये।
भावों के इस असमंजस में,
सभी व्यवस्था हुई निठल्ली।
बदला गीता सार जहाँ में,
कर्मयोग की टिल्ली ली ली ।।

(2)
ऐसे वैसे जैसे तैसे,
जो चलता उसको चलने दो।
कलियुग रामराज आने तक,
हर उगता सूरज ढलने हो।
जो होता है हो जाने दो,
जात अमावस बात नशीली।
अधिक हुये चौकन्ने तो वे,
कर डालें गे टिल्ली ली ली ।।

(3)
इतिहासों की गाय दूह कर
वे चाहे मक्खन घटे भरना।
वर्तमान मंगल पर संकट
कहते हैं शुभ खुद कर मरना।
नयी लेखनी नयी दवातें,
लिखें कथा हिंसक दर्दीली।
सब आरक्षित करना चाहें
लोकतंत्र की टिल्ली ली ली ।।

(4)
बंदनवर बने निज आलय,
पुलकित मन के सहज चितरे।
क्योंकर मन को करें सशंकित,
रात दिवस सम तेरे मेरे।
आपस में जुड़ चलें सभी तो,
दिख सकते ज़्यों मक्की छल्ली।
आरक्षण को धता बताओ,
जाति धर्म हो टिल्ली ली ली ।।

– समतावादी –

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

जबकि एन.एम.थॉमस मामले में न्यायाधीश महोदय ने किस प्रकार दु:ख प्रकट करते हुए स्वयं ही कहा था कि पिछड़े वर्गों, जिन्हें आरक्षण दिया जाता है, में मौजूद कुछ प्रभावशाली सदस्यों द्वारा आरक्षण का सारा लाभ हड़प लिया जाता है-हम पीछे देख-पढ़ चुके हैं।

''किसी ऐसे कर्मचारी को जो सेवा अथवा पद में कनिष्ठ है तथा कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रखता-पदोन्नति देते समय अन्य कर्मचारियो की उपेक्षा किए जाने से न केवल उपेक्षित कर्मचारियों के मन में बल्कि आम कर्मचारियों के मन मे भी रोष और निराशा की भावना पैदा होती हैं। ऐसा कोई भी भेदभाव अनुचित है और उससे असंतोष, अकुशलता एवं अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है।''

न्यायालय स्वयं वही सबकुछ दोहराता रहा हैं, जिसे वह अनिष्टकारी बताता था। सचमुच जैसा हमारे प्रगतिशीलों की प्रवृत्ति रही है, हर न्यायाधीश पहले सुनाए गए निर्णय में ही नमक-मिर्च लगाकर प्रस्तुत करने के लिए विवश रहा है और इस प्रकार वह अधिकारों को कदम-दर-कदम अनिष्टकारी मोड़ पर ले जा रहा है।

''किसी ऐसे कर्मचारी को जो सेवा अथवा पद में कनिष्ठ है तथा कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रखता-पदोन्नति देते समय अन्य कर्मचारियो की उपेक्षा किए जाने से न केवल उपेक्षित कर्मचारियों के मन में बल्कि आम कर्मचारियों के मन मे भी रोष और निराशा की भावना पैदा होती हैं। ऐसा कोई भी भेदभाव अनुचित है और उससे असंतोष, अकुशलता एवं अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है।''

''पदोन्नति मे आरक्षण की व्यवस्था से केवल उपेक्षित कर्मचारियो की ही निष्ठा या कुशलता मे कमी नही आती, बल्कि इस पकार पदोन्नति करने वाले कर्मचारी या अधिकारी भी संतोषजनक सेवा नही दे सकते। चूँकि वे इस बात को लेकर आश्वस्त रहेगे कि किसी भी स्थिति मे उन्हे पदोन्नति तो मिलनी ही है, अत: उनकी लगन से कार्य करने की प्रवृति नही रह जाएगी।

माननीय न्यायाधीश आगे कहते हैं, ''यदि कोई विधान(अथवा नियम) इस हद तक पहुँच जाता है तो वह लोकतांत्रिक बुनियाद को ही हिलाकर रख देता है, इसलिए उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय आगे कहता है-'' अत: वास्तविक समानता लाने के लिए समाज में व्याप्त वास्तविक असमानताओं को ध्यान में रखना तथा सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग को छूट प्रदान करना अथवा अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध वर्ग को प्रतिबंधित करके सकारात्मक कदम उठाना आवश्यक है।''

परिणामी समानता के बिना अवसर की समानता के सिद्धांत का कोई अर्थ नहीं है; क्योकि अवसर की समानता की व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से उन्नत लोगों को अपेक्षाकृत कम उन्नत लोगों के नीचे दबाने में मदद मिले

अच्छी तरकीब है; जब सच्चाई को न मनाना हो या अपनी किसी बात के पक्ष में कोई ठोस तर्क न मिल रहा हो तो उस विषय को राष्ट्रीय बहस के हवाले कर दो-वह भी अनिशिचित भविष्य में! और तब तक संबंधित व्यवस्था को ही दोषी ठहराते रहो।

क्या अब इस तथ्य का कोई अर्थ नही रहा कि सभी कर्मचारी एक वर्ग के रूप में होते है और एक वर्ग के भीतर भेदभाव नही किया जा सकता?

करौली ने मनाया स्थापना महोत्सव

आरक्षण से व्यक्ति मनौवैज्ञानिक रूप से कमजोर बनता है: पाराशर

करौली। समता आंदोलन समिति का 18वां स्थापना महोत्सव मैरिज गार्डन करौली इन गुलाब बाग में धूमधाम से मनाया गया महोत्सव का प्रारंभ मां सरस्वती के चित्रपट पर दीप प्रज्वलन, वंदना और समता गान से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वेद प्रकाश उपाध्याय उर्फ बंटू नेता एवं समता आंदोलन करौली के कार्यक्रम संयोजक देव कुमार गौड़ ने मंचासीन अतिथियों को माला एवं पटका पहना कर स्वागत किया, समता आंदोलन करौली के जिला अध्यक्ष नरेश सिंह बिनेगा ने सभी अतिथियों का शाब्दिक स्वागत के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा, डॉ श्याम सुंदर सेवदा, रामप्रकाश सारस्वत, एडवोकेट ऋषि राज राठौड़, हेमराज प्रजापत का स्वागत कर आभार जताया कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर देव कुमार गौड़ ने करौली में समता आंदोलन की गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि राष्ट्र एवं प्रांत स्तर से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप समता आंदोलन सामाजिक सरोकार एवं जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है। कार्यक्रम में हेमराज प्रजापत ने जातिगत आरक्षण को समाज के लिए घातक तो राम प्रकाश सारस्वत ने जातिगत आरक्षण से प्रतिभाओं के अधिकारों का हनन पलायन और आर्थिक बढ़ती हुई खाई पर चिंता जताई, दीपक गुप्ता शारदा मेडिकल, प्रकाश चंद शर्मा, तपन व्यास आदि ने भी अपने विचार रखें।

कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 15 (4),16(4) और 16(4ए) का हवाला देते हुए बताया कि पिछड़े वर्गों को इस अनुच्छेद के अनुसार आरक्षण दिया जाना आवश्यक नहीं है। आरक्षण से व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर बनता है और उसकी मेहनत की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। नीट, आईआईटी, इंजीनियरिंग, आदि परीक्षाओं के संदर्भ में उन्होंने बताया कि अधिक अंक प्राप्त करने वाले सवर्ण और ओबीसी के विद्यार्थियों को आरक्षित वर्ग के कम अंक लाने के बावजूद सवर्ण और ओबीसी के विद्यार्थियों के हक को मारकर राजकीय कॉलेज हासिल कर लेने से सवर्ण और ओबीसी के विद्यार्थी को निजी क्षेत्र में पेमेंट सीट पर प्रवेश लेने को मजबूर होना पड़ता है राजकीय कॉलेज प्राप्त होने पर रूपये 500000 में एमबीबीएस, आईआईटी और इंजीनियरिंग हो जाती है और पेमेंट सीट पर कॉलेज प्राप्त होने पर रूपये 50 लाख से एक करोड़ के लगभग फीस देनी होती है समता आंदोलन ऐसे होशियार विद्यार्थियों की फीस के अंतर को सरकार द्वारा भरे जाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है।

हाल ही में होने जा रही जनगणना के बारे में उन्होंने बताया कि जनगणना करवाने वाले राजनीतिक दल अपनी-अपनी राजनीति साधने में लगे हुए है वैसे जातिगत आंकड़े हर राजनेता के पास है। लेकिन दुखद बात है कि सरकार के पास यह आंकड़े नहीं है। हम चाहते हैं की जातिगत जनगणना प्रमाणित आंकड़े हो, वह आरक्षण को समाप्त करने में निश्चित रूप से हमें मददगार साबित होंगे। एस्ट्रोसिटी एक्ट के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि इस एक्ट के तहत बिना जांच के गिरफ्तारी से डरने की आवश्यकता नहीं है संविधान में बिना जांच के किसी को गिरफ्तार करने का प्रावधान नहीं है। 7 साल से कम सजा वाले अपराध में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री वेद प्रकाश शर्मा उर्फ बंटू नेता ने कहा कि जातिगत आरक्षण के नाम पर सरकारें समाज को विभिन्न वर्गों में बांट कर सामाजिक समरसता को समाप्त कर देना चाहती हैं। यह कुचक्र सभी राजनीतिक दलों के द्वारा रचा जा रहा है जो समाज के हित में नहीं है अंत में कार्यक्रम में उपस्थित सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

कार्यक्रम का मंच संचालन मुकेश सारस्वत के द्वारा किया गया।

उदयपुर ने मनाया स्थापना महोत्सव

जाति नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी

उदयपुर। समता आन्दोलन समिति जयपुर के तत्वावधान में समिति का 18वां स्थापना दिवस समारोह 19 जुलाई को लायन्स कल्ब, हिरण मगरी, सेक्टर-4, उदयपुर में आयोजित हुआ।

समारोह में समता आन्दोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा, एमपीयूएटी के पूर्व कुलपति प्रो. नरेन्द्र सिंह राठौड, ओर उमाशंकर शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुये।

राजस्थान शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल विजयवर्गीय और उदयपुर जिला संयोजक दीपक श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों का माला एवं पटका पहनाकर स्वागत किया।

दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि समता आन्दोलन अब राज्यभर में फैल रहा है, आगामी महिनों में अन्य जिलों में भी सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे।

समारोह को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने ईडब्ल्यूएस को मजबूती से लागू करने और जातिगत आरक्षण में क्रीमिलेयर की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की मांग की।

उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश में आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग के वांछित हकदार बालको को निजी क्षेत्र के कालेजों में करोड़ों रुपए खर्च कर एडमिशन मिलता है जिसका खामियाजा वह विद्यार्थी क्यों भोगे ऐसे बालकों का खर्च सरकार उठाए। लेकिन कोई इसका विरोध तो करे आवाज तो उठाए समता आंदोलन उसके साथ है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने कहा कि जातिगत जनगणना करवाने वाले अपनी अपनी राजनीति साधने में लगे हैं, जो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाह रहे थे वे भी राजनीति ही कर रहे हैं। वैसे जातिगत आंकड़े हर राजनेता के पास हैं लेकिन नहीं हैं तो सरकार के पास कागजों में नहीं है। हम चाहते हैं जातिगत जनगणना रिकॉर्डेड हो वह आंकड़े जातिगत आरक्षण समाप्त कराने में मदद करेंगे। अजजा, अजा के आंकड़े पहले से थे अब जातिगत जनगणना होती है तो ओबीसी व सामान्य वर्ग के भी आंकड़े आयेंगे।

अंत में उदयपुर जिला समिति अध्यक्ष अनिल भण्डारी ने धन्यवाद ज्ञापित किया और सभी से आंदोलन को मजबूत करने की अपील की।

डूंगरपुर ने मनाया स्थापना महोत्सव

ईडब्ल्यूएस के मापदंड ओबीसी में भी लागू किए जाएं

डूंगरपुर। समता आंदोलन समिति का स्थापना महोत्सव रामरोटी अन्न क्षेत्र में मनाया। कार्यक्रम में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष बाबूलाल विजयवर्गीय, संस्थापक सदस्य रामप्रकाश सारस्वत, महामंत्री सुरेंद्र सिंह राठौड़, चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ. एसएस सेवदा, बलवंत सिंह, संभागीय अध्यक्ष दुल्हा सिंह, दिनेश श्रीमाल और जिला सचिव पूर्णाशंकर त्रिवेदी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने कहा कि समिति का उद्देश्य आंदोलन के जरिए जनजागरण लाना है। लोगों को संवैधानिक और विधिक प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। जहां भी भेदभाव, अन्याय और अत्याचार हो रहा है, वहां आवाज उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है-हर इंसान एक समान, एक राष्ट्र एक जान, मेरा भारत महान और सर्वे भवंतु सुखिन: सर्वे संतू निरामया: । शर्मा ने कहा कि समिति ओबीसी में जाति आधारित आरक्षण का विरोध करती है। सरकार ओबीसी के लिए ऐसी वैज्ञानिक परिभाषा तय करे जिसमें जाति और धर्म का जिक्र न हो। आरक्षण का लाभ कोई गलत व्यक्ति न ले सके। 10 साल बाद भी सत्यापन हो सके और गलत लाभ लेने वालों को सजा मिले। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस में सरकार ने ऐसी वैज्ञानिक परिभाषा दी है, जिसमें वंचित और पिछड़े वर्ग की पहचान होती है। समिति की मांग है कि ईडब्ल्यूएस के पांचों मापदंड ओबीसी में भी लागू किए जाएं। ओबीसी में भी 3-4 जातियां ही लाभ ले रही हैं। सरकार को ओबीसी में उप वर्गीकरण करना चाहिए ताकि कमजोर और पिछड़े लोगों को लाभमिल सके। उन्होंने कहा कि समिति की रणनीति है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी हो। समिति लगातार जनजागरण कर रही है। लोग जानना नहीं चाहते, यही सबसे बड़ी चुनौती है। समिति आरक्षण, जातिगत भेदभाव, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनजागरण कर रही है। साथ ही विधिक सहयोग भी दे रही है। शर्मा ने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट का गलत दुरुपयोग हो रहा है। लोगों में भ्रांति है कि एक्ट लगते ही तुरंत गिरफ्तारी होती है जबकि ऐसा नही है।समिति इस भ्रम को दूर करने के लिए जागरूक व अभियान चला रही है।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in